मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2010 (फाल्गुन 7, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 71 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 84 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267- क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 12 सूचनाएं, नियम को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा। तद्नुसार -

(1) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार के सरदारपुर में विकलांग छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण न होने,

(2) श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य की सर्वशिक्षा अभियान की केन्द्र से प्राप्त राशि का उपयोग न किये जाने,

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की कमी होने,

(4) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी, सदस्य की राजगढ़ से पिपलोदी मार्ग जर्जर होने,

(5) श्री मदन कुशवाह, सदस्य की ग्वालियर के तालपुरा गांव के निवासियों को अशुद्ध जल मिलने,

(6) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की प्रदेश में अपराधियों की तलाश में विलम्ब होने,

(7) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर किला गेट क्षेत्र में शा. माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(8) श्री पारस दादा, सदस्य की रतलाम जिला चिकित्सालय में मरीजों को दवाएं न मिलने,

(9) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के शासकीय आवासों में रख रखाव पर पर्याप्त बजट आवंटित न होने,

(10) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा के मेहतास में बीमारों की ओर ध्यान न दिये जाने,

(11) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे, सदस्य की बालाघाट के परसवाड़ा महाविद्यालय में कक्षायें बढ़ाये जाने तथा

(12) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह-सनावद बायपास मार्ग का निर्माण न होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

(डॉ. कल्पना परुलेकर, सदस्य भ्रष्टाचार संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था देने की मांग करते हुए गर्भगृह में आकर बैठ गई तथा कुछ समय पश्चात् अपने आसन पर वापस गई)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री देव सिंह सैयाम, राज्यमंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (क्रमांक 56 सन् 2007) की धारा 32 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सामाजिक न्याय विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं-

(क) क्रमांक एफ-3-74-2008-छब्बीस-2, दिनांक 22 अगस्त, 2008 ;

(ख) क्रमांक एफ-1-22-2009-छब्बीस-2, दिनांक 15 सितम्बर, 2009; तथा

(ग) क्रमांक एफ-1-22-2009-छब्बीस-2, दिनांक 2 जुलाई, 2009

पटल पर रखीं।

(2) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) की धारा 22-क की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-26-9-2006-दस-3, दिनांक 29 अक्टूबर, 2009 पटल पर रखी।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार, किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। लेकिन इसके साथ ही यह अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चार ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति वयक्त की गई।

(1) श्री आरिफ अकील तथा श्री अजय अर्जुन सिंह सदस्यगण ने भोपाल शहर में पेयजल व्यवस्था की उचित देख-रेख न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री के.पी.सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री गोविन्द सिंह राजपूत, अजय अर्जुन सिंह, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्यगण तथा श्रीमती जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष ने शिवपुरी जिले के पिछोर जनपद पंचायत कार्यालय में निर्वाचित सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने सदन के पटल पर कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने की आसंदी से अनुमति मांगने का उल्लेख किया, एवं कुछ फटे कागज सदन में दिखाए गए। उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि पटल पर दस्तावेज रखने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है)

(शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य गर्भगृह में आए, कुछ समय पश्चात् अपने आसन पर गए तथा नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुनादेवी सहित कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा बहिर्गमन किया गया)

(3) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले में मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना हेतु बजट आवंटन न होने की ओर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री पारस दादा तथा महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा सदस्यगण ने रतलाम जिले में जावरा नयागांव सड़क मार्ग का निर्माण अपूर्ण होने के बाद भी टोल टेक्स की वसूली होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री ओमप्रकाश सकलेचा, सदस्य ने प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. संपत्ति विवरण पटल पर रखा जाना

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने अपनी तथा परिवार का सम्पत्ति विवरण पटल पर रखा।

7. वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भाग लिया।

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि माननीय वित्त मंत्री, श्री राघवजी द्वारा कल प्रस्तुत बजट भाषण में आज संशोधन प्रस्तुत कर वितरित किया गया है। क्या अब संशोधन मान्य है ? यदि विभाग से त्रुटि हुई है तो इस पर वित्त मंत्री जी खेद व्यक्त करें।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय वित्त मंत्री से इस संबंध में अपनी भावनाएं व्यक्त करने हेतु कहा गया। माननीय वित्त मंत्री द्वारा खेद व्यक्त करते हुए सदन को सूचित किया गया कि वस्तुतः मुद्रण त्रुटि संबंधी संशोधन वितरित किया गया है।

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने आय-व्ययक पर अपना भाषण पूर्ण किया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

8. सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है कि आज भोजनावकाश कार्य सूची में उल्लिखित कार्यों के पूर्ण होने के बाद होगा। अत: आज निर्धारित अशासकीय कार्य 1.05 बजे से लिया जायेगा।

सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

9. अशासकीय संकल्प

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश में अन्त्योदय स्वरोजगार योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को दस हजार रुपये अनुदान दिया जाता है, उसके स्थान पर बड़ी लागत की योजनाओं में 33 प्रतिशत अनुदान दिया जाये" तथा चर्चा में भाग लिया ।

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया (श्रीमती नीता पटेरिया) पीठासीन हुई।

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग से 300 फिट, राजमार्ग से 200 फिट एवं ग्रामीण मार्ग से 100 फिट की दूरी तक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाये".

डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री शंकर लाल तिवारी, सदस्यगण ने चर्चा में भाग लिया ।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापस हुआ।

(3) श्री नारायण प्रजापति, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि सागर के मकरोनिया रेल्वे स्टेशन से कर्रापुरा-बंडा-दलपतपुर-शाहगढ़-हीरापुर बड़ा मलेहरा होकर खजुराहो तक नई रेल लाईन बिछाई जाये".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री नारायण प्रजापति
(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(3) श्री अरूणोदय चौबे
(4) श्री श्रीकांत दुबे

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.32 बजे विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 2010 (फाल्गुन 17, 1931) के 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 26 फरवरी, 2010